उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्याः 3609/XI/13/53(08)11
देहरादूनः दिनांकः 3 सितम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रथम चरण में उक्त योजना पॉच जनपदों के निम्नलिखित 10 विकास खण्डों में संचालित की जायेगीः–

क0सं	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या
1.	**चमोली**	जोशीमठ	5	97
		गैरसैंण	6	86
		योग–	**11**	**183**
2.	**देहरादून**	कालसी	9	97
		डोईवाला	5	47
		योग–	**14**	**144**
3.	**पिथौरागढ़**	बेरीनाग	9	88
		गंगोलीहाट	10	122
		योग–	**19**	**210**
4.	**बागेश्वर**	बागेश्वर	16	181
		कपकोट	12	115
		योग–	**28**	**296**
5.	**उत्तरकाशी**	भटवाड़ी	7	77
		मोरी	4	62
		योग–	**11**	**139**
		महायोग–	**83**	**972**

नोट– प्रथम चरण में उक्त प्रस्तावित 972 ग्राम पंचायतों में उन जनपदों के ग्राम पंचायतों को इस योजना से आच्छादित नहीं किया जायेगा जो आई0एफ0ए0डी0 सहायतित योजना से लाभान्वित होंगे।

2. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सासी निकाय निम्नलिखित को नामित जाता है:–

1.	मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	मा0मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड सरकार	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वनएवंग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव / सचिव, उद्यान	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव / सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव / सचिव,समाज कल्याण	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव / सचिव,उद्योग	सदस्य
13.	प्रतिनिधि, उद्योग संघ	सदस्य
14.	प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
15.	प्रतिनिधि, आर0बी0आई0	सदस्य
16.	प्रतिनिधि, नाबार्ड	सदस्य
17.	प्रतिनिधि, व्यावसायिक बैंक	सदस्य
18.	प्रतिनिधि, सी0एस0ओ0	सदस्य
19.	प्रतिनिधि, एस0एच0जी0 फेडरेशन	सदस्य
20.	सचिव / राज्य मिशन निदेशक,ग्राम्य विकास	संयोजक
21.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एस0आर0एल0एम0	सह संयोजक

3. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कियान्वयन / संचालन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पूर्व में गठित एवं पंजीकृत परियोजना प्रबन्ध इकाई ही इस परियोजना मिशन हेतु परियोजना प्रबन्ध इकाई के रूप में कार्य करेगी। जिसके कार्यकारी निकाय निम्नानुसार होंगे:–

1.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग	– अध्यक्ष
2.	सचिव, ग्राम्य विकास / राज्य मिशन निदेशक,एस0आर0 एल0एम0	–उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त / निदेशक कृषि,	– सदस्य
4	आयुक्त / निदेशक उद्यान	– सदस्य
5	आयुक्त / निदेशक वित्त	– सदस्य
6	आयुक्त / निदेशक जनजाति विकास	– सदस्य
7	आयुक्त / निदेशक महिला एवं बाल विकास	– सदस्य

8 आयुक्त/निदेशक समाज कल्याण – सदस्य

9 आयुक्त/निदेशक शिक्षा – सदस्य

10 आयुक्त/निदेशक स्वास्थ्य – सदस्य

11 आयुक्त/निदेशक श्रम – सदस्य

12 आयुक्त/निदेशक, उद्योग – सदस्य

13 संयोजक एस0एल0बी0सी0, – सदस्य

14 राज्य प्रतिनिधि, नाबार्ड एवं आर0बी0आई0 – सदस्य

15 प्रतिनिधि, उद्योग संघ – सदस्य

16 प्रतिनिधि एस0एच0जी0 फेडरेशन – सदस्य

17 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस0आर0एल0एम0 –संयोजक

18 अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0एल0एम0 –सह संयोजक

3. परियोजना प्रबन्धन इकाई के बायलॉज एवं नियमावली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्ग निर्देशानुसार आवश्यक संसोधन यथा समय किया जायेगा।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–3609 /XI/13/53 (08)11 तददिनांक्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन,भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव,मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शसन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त सदस्य, शासी निकाय।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।